Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019 (PHALGUNA 3, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2019

No. 12-HLA of 2019/16/3917.— The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 12- HLA of 2019

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2019.

Amendment of section 9A of Punjab Act 17 of 1965.

2. For sub-section (1) of section 9A of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, the following sub-section shall be substituted, namely:-

'(1) Each employee shall contribute to the Fund every month an amount equal to zero point two percent of his salary or wages or any remuneration subject to a limit of rupees twenty-five and each employer in respect of each such employee shall contribute to the Fund every month, twice the amount contributed by such employee:

Provided that the limit specified above shall be indexed annually to the consumer price index beginning from first of January each year.

Explanation.- For the purposes of sub-section (1), "employee" means an employee on the register of an establishment on the last working day of the month.'.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 was enacted to provide for the constitution of a fund for financing and conducting activities to promote the welfare of labour and their dependent family members. However, over the years it has been felt that the Fund constituted under this Act has not been sufficient for the purpose and objects. Thus, with a view to achieve this object, it has become essential make the process easier to augment the resources of the Fund and for this it is proposed to carry out necessary amendments in the Act through this Bill.

Hence this Bill.

NAYAB SINGH SAINI,
Minister of State for Labour and Employment,
Haryana.

Chandigarh:
The 22nd February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 12-एच०एल०ए०

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1965 का पंजाब अधिनियम 17 की धारा 9क का संशोधन।

2. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9क की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) प्रत्येक कर्मचारी पच्चीस रूपए की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मास अपने वेतन या मजदूरी या किसी पारिश्रमिक के 0.2 प्रतिशत के बराबर राशि का निधि में अंशदान करेगा तथा प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में नियोक्ता, प्रतिमास ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि का दो दुगना निधि में अंशदान करेगा :

परन्तु उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा को प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रतिवर्ष अनुक्रमित किया जाएगा।

व्याख्या.– उप–धारा (1) के प्रयोजनों हेतु ''कर्मचारी'' से अभिप्राय है, मास के अन्तिम कार्य दिवस को किसी प्रतिष्ठान के रजिस्टर पर कोई कर्मचारी।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 श्रम कल्याण गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु एक निधि का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि श्रमिक तथा उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों हेतू ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जा सके। कई वर्षों से अनुभव किया जा रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत गठित निधि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इसलिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए निधि के स्त्रोतों को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना आवश्यक है और इसीलिए विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

इस प्रकार यह विधेयक है।

नायब सिंह सैनी,
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56880—H.V.S.—H.G.P.,Chd.